P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-9* December- 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

अनुसूचित जातियॉं और मानव अधिकार जागरूकता : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

Scheduled Castes and Human Rights Awareness: A Sociological Analysis

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 27/12/2020, Date of Publication: 28/12/2020

जगदीश प्रसाद अहिरवार
सहा.प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय,
पथरिया, दमोह म0प्र0, भारत

आर. एस. त्रिपाठी
प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय,
बड़वारा, कटनी म0प्र0, भारत

सारांश

वर्तमान सामाजिक परिवेष में अ.जा. वर्ग के प्रति मानव अधिकार संरक्षण के संकेतक संवेदनशीलता को अधिक बढ़ाने का आग्रह करते हैं। शोध पत्र में क्षेत्रीय कार्य से प्राप्त आकड़े बताते हैं कि शिक्षा और मानव अधिकार के स्तर पर अ.जा.वर्ग आगे बढ़ा है, परन्तु तुलनात्मक रूप से अभी भी पीछे है। मानव अधिकार हनन और मानव गरिमा का नुकसान अधिक प्रत्यक्षकारी घटनाओं के रूप में सामने आता है। व्यापक सामाजिक व्यवस्था में वैद्यानिक उपायों के साथ जागरूकता की जरूरत अधिक है। अ.जा. वर्ग में शिक्षा का स्तर उन्नत हो रहा है। 1991–2011 की जनगणना के आकड़े प्रदर्शित करते हैं कि ग्रामीण और अ.जा. सकल साक्षरता की दर राज्य औसत से समीप है, परन्तु सामाजिक भेदभाव की कमी लाना परिवेशगत है। सर्वणता के दबाव की बजाय सामंती प्रथा के अवशेष भी बाधक हैं जो विकास के लाभों में हस्तक्षेपकारी हो सकते हैं। षिक्षा के प्रसार से सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है। यह अ.जा. वर्ग में सामाजिक परिवर्तन का सबसे कारगर उपाय सिद्ध होगा।

SC in current social environment Indicators of human rights protection towards the class urge to increase sensitivity more. Data obtained from field work in the research paper show that the SC category has moved forward on the level of education and human rights, but still comparatively behind. Human rights abuses and loss of human dignity emerge as more visible incidents. In the wider social system, there is a greater need for awareness with legal measures. SC The level of education in the class is increasing. The 1991-2011 census data show that rural and SC population The overall literacy rate is close to the state average, but the reduction of social discrimination is ambient. Instead of the pressure of omniscience, the residuals of feudal practice are also impediments which can be interfering with the benefits of development. Social mobility has increased due to the spread of education. This SC Class will prove to be the most effective way of social change.

मुख्य शब्द : सामाजिक गतिशीलता, पिछड़ापन, शिक्षा स्तर, मानव अधिकार हनन, छुआछूत, समानता, विभेदीकरण।
Social Mobility, Backwardness, Education Level, Human Rights Abuses, Untouchability, Equality, Discrimination.

प्रस्तावना

उद्देश्य और सैद्धांतिक कथन

शिक्षा के समाजशास्त्र में समाज के पिछड़े वर्ग की प्रगति का मापन एवं समस्याओं का अध्ययन प्रमुख धारा रही है। ग्राह्यता, सार्मथ्य, गतिशीलता, सामाजिक समावेशन जैसे सैद्धांतिक अवधारणाओं का निरंतर समाजशास्त्रीय विश्लेषण दलित जातियों के संदर्भ में शिक्षा गतिशीलता को जानने का प्रयास इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य लिया गया है। यह स्थापित तथ्य है कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा की प्रगति के सूचकांकों को आगे करती है। सामान्य अर्थों में दलित वर्ग कहना समीचीन माना गया। 1931 में जनगणना के दौरान इसे बाहरी जाति (Excluded Castes) लिखा गया था। नियोग्यता में कई प्रकार प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में इनको अधिरोपित रही। स्वतंत्र परिदृश्य में गरीबी, अस्पृश्यता के सामाजिक भेदभाव के शत्रुतापूर्ण परिवेश रोकने वाले कारक हैं जो शैक्षिक गतिशीलता में बाधक रहे हैं। 1951 से 2011 के आंकड़े उन सकारात्मक

तथ्यों को संकेत करते हैं साथ ही अनेक अवरोधकों को भी स्पष्ट करने योग्य है।

पद्धति

यह शोधपत्र जनगणना, अन्य द्वैतीयक स्त्रोतों के जरिये अनुभाविक विश्लेषण में प्रयोग किया है। उद्देश्य को पद्धति से तालमेल सहित वर्णनात्मक विधि से तैयार किया गया है। पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त पूर्ववर्ती शोध साहित्य का संक्षिप्त सर्वेक्षण का वर्णन किया गया है। इस शोध पत्र में सिद्धांत के सार्वभौतिक स्थापना की जगह मध्यमवर्ती दृष्टि है तथा उपकल्पना और सांख्यिकीय जटिलता का मुख्य आधार नहीं लिया गया है।

क्षेत्रीय शोधकार्य या अनुभाविक शोध वर्तमान समाजशास्त्रीय परम्परा में अग्रणी है। मध्यप्रदेश राज्य के दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 8 गॉवों को गहन आकड़ा संकलन एवं अवलोकन में लिया गया था। इस अध्ययन में जनांकिकीय विशेषताओं को सामने रखकर 'सैम्पल ग्राम' चुनने की प्रक्रिया अपनाई गयी। 12 लाख की आबादी में 10 लाख तक ग्रामीण जनसंख्या दमोह जिले की 2011 जनगणना में थी। इन तहसीलों में साक्षरता स्तर की विभिन्नता भी मिलती है। दमोह तहसील जिले में जवेरा, पथरिया, हटा, तेन्दूखेड़ा, बटियागढ़, पटेरा तहसील की साक्षरता दर ऊंची थी।

पॉच अनुसूचित जाति बाहुल्य गॉव को उत्तरदाता चयन से पूर्व लिया गया था। उत्तरदाताओं का चयन रैण्डम पद्धति से परिवार इकाई मानकर शामिल किया गया था। सामाक्षत्कार अनुसूची के माध्यम से आकड़ों का संकलन किया गया। अनसंधानकर्ता उसी क्षेत्र का निवासी होने से सरलता से ग्रामीण परिवेश में कार्य करने का मौका मिला। जिले में 1146 आबाद गॉव और सात तहसीले कार्य करती है। स्त्री–पुरूष अनुपात 911 ग्रामीण और 907 शहरी था जो राज्य के औसत (936, 918) से कम था। इस सम्बंध में आकड़े महत्वपूर्ण हैं –

	दमोह	राज्य
कुल जनसंख्या में अ.जा.	19.49%	15.62%
अ.ज.जा.	13.15%	21.09%
साक्षर – व्यक्ति	69.73%	69.32%
पुरूष	79.27%	78.73%
महिला	59.22%	59.24%

Source: Madhya Pradesh, Series 24, Part-XII-B, District Census Hand Book, Damoh, 2011, Primary Census Abstract, Directorate of Census Operation.

ऊपर की सांख्यिकी से ज्ञात होता है कि राज्य में 15% अजा जनसंख्या का प्रतिशत जिले की तुलना में कम था। दूसरे साक्षरता का स्तर तुलनात्मक रूप से 69% के समान ही मिलता है (2011 जनगणना : दमोह)।

दमोह जिला सागर संभाग का महत्वपूर्ण भाग है। यदि हम अजा जनसंख्या का अनुपात देखें तो रोचक आकड़े प्राप्त होते हैं।

सर्वाधिक (Top-5)	2011 में अ.जा.	1991	जनगणना 2001 में अ.जा. जनसंख्या
म.प्र. राज्य	15.6%	15.4%	15.2%
उज्जैन जिला	26.4%	24.6%	24.7%
दतिया जिला	25.5%	24.8%	24.9%
दमोह	19.5%	20.1%	19.5%
टीकमगढ़	25.0%	22.8%	24.3%
शाजापुर	23.4%	22.3%	22.0%

ऊपर की सारणी से संकेत मिलता है कि दमोह जिला उच्च पॉच अ.जा. बाहुल्य जिलों में नहीं था। इसका स्थान 13वॉ था 2011 की जनगणना में, 2001, 1991 पिछली जनगणना में भी 13वॉ ही था।

साक्षरता स्तर के पिछली तीन जनगणना में अ.जा. साक्षरता के आकड़े दृष्टव्य हैं –

	भारत ग्रामीण	मध्यप्रदेश
2001	51.20%	55.40%
2011	55.40%	62.70%

मध्यप्रदेश में जिलावार तुलना करें तो साक्षरता अ.जा. वर्ग में पर्याप्त अन्तर की है। दमोह 35 वे स्थान पर है जबकि बालाघाट पहले स्थान पर।

दमोह	62. 90%	उज्जैन	63.00%
बालाघाट	83.10%	पन्ना	58.00%
जबलपुर	76-90%	छतरपुर	56.30%
सागर	72.10%	टीकमगढ़	59.30%
		कटनी	68.70%

Source : Demography of Scheduled Center, Census mp.nic.in, 2011

अध्ययन के उद्देश्य

1. इस शोध पत्र में उद्देश्य यह लिया गया है कि अ.जा. वर्ग में शिक्षा और मानव अधिकार जागरूकता का स्तर क्या है?
2. यह जानाना कि मानव अधिकार के औचित्य और आवश्यकता सम्बंधी परिपालन किस प्रकार हो रहा है ? तथा यह भी जानना कि समस्याप्रद क्षेत्र कौन–कौन से हैं?

भारतीय समाज में दलितों व पिछड़े वर्गों में सामाजिक चेतना एवं जाग्रति फैलाने का काम सही अर्थों में ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुआ। महामना ज्योतिवा फुले, सावित्री बाई फुले, पैरियर ई.वी. रामासामी, बी.आर. अम्बेडकर का योगदान सर्वोपरि है, 19 वीं शताब्दी में भारतीय समाज की शूद्र जातियों में धार्मिक और सामाजिक शोषण के खिलाफ जागृति फैलने में महत्वपूर्ण है।[प]

आजादी के उपरांत संविधान के अनुसार शिक्षा आयोग का गठन हुआ। केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को शिक्षा दिलाने के प्रयास जारी किए। शिक्षा सभी के लिए हो ऐसा प्रयास किया गया। देश के सभी लोग शिक्षित होगे तभी देश का सम्पूर्ण विकास होगा, इसके लिए आवश्यक है कि शैक्षणिक अवसर समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध हो, आजाद भारत में भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में देकर शैक्षणिक अवसरों में समानता की मुहर लगा दी। जिसकी वजह से आज दलित जातियाँ शिक्षा ग्रहण कर अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक दिखाई देती है। अनुसूचित जातियों पर हमारे देश में कई समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने काम किया है। अपने अनुसंधानों में इन समाज वैज्ञानिकों ने कतिपय विशेषताओं को प्रस्तुत किया है जिन्हें सार रूप में बिन्दुओं में प्रस्तुत किया गया है– (1) गरीबी (2) भेदभाव (3) चेतना और जागृति।

गरीबी

अनुसूचित जातियों पर जो ढ़ेर सारा साहित्य है वह इस बात पर केन्द्रित है कि इन जातियों का प्राचीन काल से आज तक शोषण होता रहा है। इन जातियों की बहुत बड़ी विशेषता इनकी गरीबी है। हमारे यहाँ अर्थशास्त्री गरीबी की परिभाषा करने में असफल रहे हैं। इस सम्बंध में परस्पर विरोधी आंकड़े मिलते है। कोई कहता है देश में आधे लोग गरीब है, और कोई कहते है गरीबी की रेखा से नीचे कोई 30–35 प्रतिशत लोग है और फिर अनुसूचित जातियों की गरीबी को परिभाषित इस तथ्य पर की जाती है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कितनी–कितनी केलौरी ऊर्जा चाहिए और इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए कितनी आय चाहिए। इस तरह के तथ्य एकत्रित करना कठिन कार्य है और फिर ऐसे तथ्य एकत्र हो जाये तब भी उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। बात यह है कि गरीबी की पहचान करने के लिए जो आधार होता है वे एक समाज से दूसरे समाज में और एक समय से दूसरे समय में बराबर बदलते रहते है। यह सब न करें तब भी किसी भी मुरझाये हुए चेहरे को देखकर जो तीस वर्ष का है और पचास वर्ष का लगता है। जिसके शरीर के कपड़े तार–तार हो गये है, जिसके पांव में कोई जूता नहीं, अपने आप में गरीबी को परिभाषित करता है।

भेदभाव का यह क्षेत्र ऐसा लगता है जैसे बहुत समिट गया है। लेकिन इसे थोड़ा गहराई से देखना पड़ेगा। यह ठीक है कि जिन क्षेत्रों में राज्य सरकार काम करती है वहां भेदभाव कम हुआ है। लेकिन जैसे ही हम अछूतों के सम्बंधों को हिन्दू जातियों के साथ देखते है तब हमें बड़ा अंतर दिखाई देता है। यहां अब पृथक्करण की नीति अपनाते है। मुम्बई जैसे शहर में आप किसी भी होटल में दाखिल हो जाइये, पैसा चुकाइये और चाय पीकर बाहर आ आइये, कोई आपको टोकेगा नहीं। लेकिन कोई भी ब्राह्मण ऊँचा वर्ग के घर पहुंच कर शादी नहीं करवायेगा। यहां पर हमें आई.पी. देसाई के सर्वेक्षण का उल्लेख करना चाहिए। देसाई ने ग्रामीण गुजरात के अछूतों का अध्ययन किया है। गुजरात आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक विकसित राज्य है। देसाई ने अपने सर्वेक्षण के निष्कर्ष में लिखा है छूआछूत आज भी है।

ओलिवर मेन्डेल सोहन और मारीका विकजेएनी ने अनुसूचित जातियों के लिये जो सामाजिक विधेयक बना है, उसका विस्तृत विश्लेषण किया है। अस्पृश्यता निवारण का जो अधिनियम 1955 में बना है उसका संशोधन 1976 में हुआ और इसके बाद इस विधेयक को अधिक कड़ा बनाने के लिए 1989 में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए जो अधिनियम बना है (Prevention of Afvocities Act 1989) वह एक सख्त कानून कहा जा सकता है। यदि सामाजिक विधान की दृष्टि से देखा जाय तो यही सब कुछ अनुसूचित जातियों के आरक्षण के नाम पर हमारे पास है और इन अधिनियमों की पृष्ठभूमि भी 1930 के पहले से है। प्रश्न है जब अनुसूचित जातियों के साथ इतना बड़ा भेदभाव है, फिर भी इसके निवारण के लिए कोई कारगर आन्दोलन क्यों नही चला? यह सही है कि मुम्बई में महारों में कुछ हलचल हुई, उत्तर प्रदेश के जाटवों में अस्पृश्यता की राजनीति आयी और उसके बाद अनुसूचित जातियों का सम्पूर्ण आन्दोलन ही फिसल गया।

विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक हमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग अध्ययन करते हुए मिलेंगे, कमजोर वर्गों के कुछ सदस्यों ने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके उच्च पद पाया है। कुछ आदिवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा में काम करते है। कमजोर वर्गों के कुछ लोग व्यावसायिक पदों पर भी है– डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीशियन इत्यादि। इन मुट्ठी भर लोगों के विकास कार्यक्रमों के लाभ को लिया है। लेकिन यदि हम सामाजिक अनुसंधान के साहित्य को सूक्ष्मता से देखें तो ज्ञात होगा कि कमजोर वर्ग के जिन लोगों ने विकास कार्यक्रमों को थोड़ा बहुत लाभ लिया है वे कमजोर वर्गों के उच्च तबकों के है। अछूत में अभिजन अछूतों को लाभ मिला है। आदिवासियों में बड़े किसानों और राजनीतिक नेताओं को लाभ मिला है और इसी तरह निम्न जातियों में वे लोग जिनके पास ज्यादा जमीन है और जो कोई न

कोई जुगाड़ करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर गये है, उन्हें लाभ मिला है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमजोर वर्ग के आदमी के लिये शिक्षा पाना बहुत महंगा है। आज की शिक्षा भी एक तरह का उद्योग है। जितनी ऊँची शिक्षा संस्था होगी, उतना ही ऊँचा उसका शुल्क होगा। जाहिर है निम्न स्तर की शिक्षण संस्था को पढ़कर कमजोर वर्ग का आदमी उच्च वर्गों और उच्च जातियों के सदस्यों का मुकाबला नहीं कर सकता और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मुकाबला करना पड़ता है। इस वर्ग के सदस्यों के लिये तो रोजगार की प्रतियोगिता केवल एक हारी हुई लड़ाई होती है।

भारत की संघीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा की समानता के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं–

1. सम्पूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क करना।
2. वंचित समाज अर्थात् अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष शैक्षणिक प्रमाण।
3. अल्पसंख्यकों को पृथक तथा स्वतंत्र शैक्षिक संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार प्रदान करना।
4. महिलाओं को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान करना।
5. समाज के कमजोर वर्गों के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
6. सरकारी सेवाओं में कमजोर वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था।

इस प्रकार सरकार द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के स्त्रोत के रूप में

शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार है। शिक्षा का सम्बंध ग्राह्यता और सामर्थ्य दोनों से होने के कारण यह परिवर्तन की पृष्ठभूमि निर्मित करती है। जिन देशों–प्रदेशों और क्षेत्रों में शिक्षितों का प्रतिशत अधिक है तुलनात्मक रूप से अन्यों की तुलना में वे अधिक प्रगतिशील और गतिशील होते है। विकसित और विकासशील देश इसलिए अधिक प्रगति पर रहे है कि वहां शिक्षा का प्रतिशत अधिक है जबकि पिछड़े देशों के पिछड़ेपन का कारण ही अशिक्षा है। केरल जैसे प्रांत में हम देखते है कि वहां शिक्षा और साक्षरता का अधिक प्रतिशत होने के कारण ही शासकीय परिवार नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं, छोटे बच्चे का आदर्श को मान्यता जैसी योजनाओं को अधिक सफलता मिली है। राजनैतिक जागरूकता भी केरल में बहुत अधिक है इससे स्पष्ट है कि शिक्षा वांछित फलों की प्राप्ति और द्रुतगामी गतिशील सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला है।

सामाजिक कारक

शैक्षणिक अवसरों की असमानता के कारण अनेक सामाजिक कारक ही उत्तरदायी होते है जिनमें (1) माता–पिता का आर्थिक रूप से निर्धन होना, (2) परिवार तथा समाज में बालिकाओं को शिक्षा के महत्व को नहीं समझना, (3) बाल मजदूरी की प्रथा (4) शिक्षा के महत्व के प्रति अज्ञानता (5) शिक्षकों तथा विद्यालयों का अभाव (6) प्राचीन अथवा पुसतन परम्पराओं में अधिक विश्वास (7) वैज्ञानिक तथा तकनीकी दृष्टिकोण का अभाव (8) निर्धन परिवारों को भरपेट भोजन नहीं मिलना। हमारे समाज में अनेक ऐसे बिन्दु है जिनके कारण बालक शैक्षिक अवसरों की समानता का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते है। इन तथ्यों को समझते हुये सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे है, किन्तु नागरिक में जागरूकता के अभाव के कारण तथा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इनका पूर्ण लाभ वांछित बालकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। निश्चय ही यहां अधिक सार्थक दृष्टिकोण तथा प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक समानता के लिए किये जा रहे प्रयासों का निरंतर मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है।

पाउलो फ्रेरे और पद दलित लोग

शिक्षा के क्षेत्र में यह बहस बहुत गर्म है कि भारत सरकार जिस शिक्षा नीति को अपना रही है उसमें गरीब का कोई स्थान नहीं है। यह कितनी बड़ी दुखान्त घटना है कि एक ओर तो सरकार यह कहती है कि शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए उसके पास राजस्व नहीं है और दूसरी ओर बराबर प्रौद्योगिकीय और व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पाउलो फ्रेरे की पुस्तक इसी मुद्दे पर 1972 में आयी। इस दशक में फ्रेरे तीसरी दुनिया के देशों के मुद्दों को उठाते है। इनका कहना था कि शिक्षा विकास के सम्पूर्ण कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों (पद–दलितों) को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया है। फ्रेरे ने तीसरी दुनिया के सम्पूर्ण देशों की पड़ताल की है। वे कहते है कि गरीबों को कोई शिक्षा नहीं दी जाती। इसके परिणामस्वरूप उनकी सभ्य समाज के साथ में कोई अन्तःक्रिया नहीं हो पाती। पिछड़े हुये देशों में पद दलित लोगों की एक ऐसी संस्कृति पैदा हुई है जिसे फ्रेरे मौन संस्कृति कहते है। पद–दलितों का शोषण होता है, उनका दमन होता है और आश्चर्य तो यह है कि वे अपने शोषण के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकाल सकते और इसलिये कि उनके पास कोई शब्द नहीं है। पाउलो फ्रेरे ने आधुनिक शिक्षा को सामाजिक न्याय और राजनीतिक दृष्टि से देखा है। वे कहते है कि उपनिवेशवाद की यह नीति रही थी कि वह गरीबों को पढ़ने को कोई अवसर ही नहीं देना चाहती थी।

प्रस्तुत शोध 'अनुसूचित जाति में शिक्षा एवं उनमें मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूकता' विषय से संबंधित है। शोध की सफलता हेतु आवश्यक है कि विषय से संबंधित अन्य शोधकर्ताओं, लेखकों के शोधकार्यों, आलेखों का अच्छी तरह अध्ययन किया जाये जिसके माध्यम से शोधार्थी को अपने अध्ययन में आधार उपलब्ध हो सके। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोधछात्र द्वारा पूर्व में हुए विषय से संबंधित पी–एच.डी. शोध, शोधपत्र एवं शोध पुस्तकों का अध्ययन किया गया है जो निम्नलिखित है–

चौधरी, जे.के. (2018) ने अपने शोध पत्र 'पारिवारिक कलह अनुसूचित जाति के बच्चों के शैक्षणिक विकास में बाधक : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन' में पाया कि अनुसूचित जाति के परिवारों में बच्चों का शिक्षा के प्रति नीरस एवं उपेक्षित व्यवहार मुख्य रूप से बच्चों पर निर्भर होकर उनके परिवार के वातावरण पर निर्भर करता

है। चूंकि अनुसूचित जाति के सदस्या पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धन, शोषित, पीड़ित एवं वंचित रहे है। जिसके अनुरूप ही उनका सामाजीकरण होता है। परिवार के मुखिया का निरक्षर होना, निर्धनता, ऋणग्रस्तता में सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करना एवं पिछड़ेपन के कारण रूढ़िवादी होना तथा आस पड़ोस का वातावरण अस्वच्छ लड़ाई–झगड़ों का गढ़ एवं मादक पदार्थों का सामान्य प्रयोग होना निम्न स्तर का व्यवसाय एवं आय रही है जो उनके बच्चों की शिक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण नहीं करती है यही कारण है कि अनुसूचित जाति परिवार के बच्चे अधिक पढ़–लिख नहीं पाते और प्रायः जल्द ही विद्यालय जाना छोड़ देते है।

झारिया, धर्मेन्द्र (2017) ने अपने शोध पत्र 'अनुसूचित जाति की शैक्षणिक समस्याएँ : एक अध्ययन' में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जाति की निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति, निर्धनता, ऋणग्रस्तता एवं दरिद्रतापूर्ण पारिवारिक वातावरण उनके बच्चों की शिक्षा के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। नगरों की तुलना में गाँवों में रहने वाले अनुसूचित जाति परिवार को गाँवों में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं शहरी क्षेत्रों से अधिक दूरी पर बसे गाँवों जहां, आवागमन के साधन, रोड़ (सड़क) बिजली, पानी आदि की समस्याएं वहां अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उनका शैक्षिक स्तर उन्नत नहीं हो पाता।

सूत्रकार, राजकुमार (2014) ने अपने शोध प्रबंध 'दलित महिलाओं में गतिशीलता' (जबलपुर जिले के ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन) में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं की गतिषीलता में पाया कि गाँव में निवासरत महिलाओं में नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं की तुलना में कम गतिषीलता पाई जाति है। क्योंकि गाँव की प्रथाएं, परम्पराएं एवं धार्मिक रूढ़िवादी मान्यताएं महिलाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानते। पर्दाप्रथा, परिवार में बच्चों की देखभाल करना, भोजन पकाना तथा घरेलू कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। महिलाओं के लिये आर्थिक विकास के गाँव में कम अवसर होते है। प्रायः अनुसूचित जाति की महिलाएं खेतों में मजदूरी करने एवं दूसरे के घरों में झाड़ू पोंछा करने तक सीमित है जबकि नगरीय महिलाओं को नगरों में विभिन्न तरह के कार्यों को करने के कारण उन्हें विविध क्षेत्रों से संबंधित जानकारी एवं जागरूकता होती है वही नगरों में प्रथाओं, परम्पराओं को अधिक महत्व नहीं दिये जाने पर वे गतिशील अधिक होती है।

जैन, प्राप्ति (2013) अपने शोध प्रबंध 'अनुसूचित जाति महिलाएं एवं शिक्षा' (जबलपुर नगरीय क्षेत्र की गंदी बस्ती के संदर्भ में) में पाया कि गंदी बस्तियों में रहने वाले अनुसूचित जाति परिवार इतने अधिक निर्धन है कि वे अपनी बच्चियों को शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाते। परिवार का मुखिया प्रायः मजदूरी करके अपने परिवारों का भरण–पोषण किया करते है कुछ परिवारों की महिलाएँ भी झाड़ू पोछा, बर्तन माजने का काम करती है। जिसके कारण इनके बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती, माता–पिता के काम पर चले जाने के बाद घर पर बच्चों की देखभाल का काम प्रायः बड़े लड़के या लड़की को करना पड़ता है। जिसके कारण ये नियमित विद्यालय नहीं जाते कुछ परिवार में तो बालिकाएं बचपन से ही अपनी माता के साथ दूसरों के घरों पर झाड़ू पौंछे का काम किया करते है। वही इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि गंदी बस्तियों का वातावरण शिक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं होता इन बस्तियों से लड़ाई–झगड़े, गाली–गलौच तथा गंदगी का माहौल देखा जा सकता है वहीं सुविधाओं से वंचित इनके मकान इतने छोटे एवं आपस में चिपके होते है। जहां न तो पानी की व्यवस्था होती है और न ही नाली एवं प्रकाश की, वहीं शराबी एवं विविध तरह के नशा करने वाले लोगों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़–छाड़ की समस्या बनी रहती है। यही कारण है कि गंदी बस्तियों की लड़कियां पर्याप्त अध्ययन नहीं कर पाती।

सिंह, रामगोपाल (2011) ने अपनी पुस्तक 'भारतीय दलित समस्याएं एवं समाधान' में दलितों से जुड़ी पूर्व एवं वर्तमान समस्याओं को दर्शाया है एवं उसके सार्थक एवं खोजपूर्ण समाधान भी प्रस्तुत किये है। अपनी खोजपूर्ण इस पुस्तक में सात अध्यायों में विभक्त कर सर्वप्रथम भारतीय सामाजिक पुनर्रचना, समस्याएं एवं संभावनाएं को उजागर किया है, जिसमें इन्होंने तीन पक्षों को भारतीय (अथवा हिन्दू) लोकतांत्रिक प्रारूप, क्रान्तिकारी जनवादी प्रारूप तथा धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक अथवा उदारवादी प्रारूप के माध्यम से स्पष्ट किया है।
सुखदेव, थोरात (2011)ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक 'भारत में दलित' सामान्य लक्ष्य की खोज में अस्पृश्यता एवं अन्य अत्याचारों पर चार क्षेत्रीय अध्ययनों को प्रस्तुत किया है जिसमें कर्नाटक अध्ययन, आन्धप्रदेश अध्ययन, उड़ीसा एवं गुजरात अध्ययन किया गया जिसमें शोधपूर्ण तरीके से इन राज्यों के अधिक संख्या में गाँवों का अध्ययन कर दलितों पर हो रहे अत्याचार से संबंधित सांख्यिकी का दर्शाया गया तथा वर्तमान समय पर दलितों पर किस तरह की निर्योग्यताएं है। शासन प्रशासन द्वारा उनके लिए किये गये सुरक्षात्मक प्रयासों के साथ–साथ कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लाभ का मूल्यांकन किया है। अध्ययन में एक्शन एण्ड दिल्ली द्वारा 2001 में आयोजित 11 राज्यों में 550 गाँवों के अखिल भारतीय अध्ययन से भी सूचनाओं को प्राप्त किया गया है। जिसमें अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जातियों के संबंध में सूक्ष्म तथ्यों को स्पष्ट किया गया है। अनुसूचित जातियों की अगली समस्या उनके शैक्षणिक व बौद्धिक पिछड़ेपन की भी है। संवैधानिक संरक्षण होने के बावजूद भी साक्षरता का प्रतिशत काफी कम है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनेक बाधाओं से जूझ रही है। एक ओर जहां साक्षरता काफी कम है वहीं दूसरी ओर उच्च, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियां काफी पिछड़ी हुई है। वर्तमान समय में अच्छी शिक्षा का सम्बंध आर्थिक सम्पन्नता से जुड़ा हुआ है। अधिकांश दलित चूंकि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते है, अतः वे अच्छे कान्वेंट या अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते।

अनुसूचित जातियों की एक समस्या सांस्कृतिक

अधकचरेपन की है। संस्कृति का संकट तब प्रारम्भ हुआ जब आर्यों ने भारत में आकर द्रविड़ों तथा अनार्यों की संस्कृति को ध्वस्त करके अपने रंग में ढाल लिया व यहां के रहने वाले मूलनिवासियों को संस्कृति को नष्ट कर दिया और अनार्यों को शूद्र वर्ण में ढकेल कर उनको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। वर्तमान समय में सरकार अनुसूचित जातियों की साक्षरता के लिए बहुत सी योजनाएँ बनाकर प्रयत्नशील है। इनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किये गये है तथा इनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है साथ ही इन जातियों को विशेष छात्रवृत्तियाँ दी जाती है, मुक्त पुस्तकों एवं गणवेश का भी प्रबन्ध किया गया है। कई स्थानों पर तो वस्त्र व भोजन आदि भी दिया जाता है। इनके लिए छात्रावासों का भी प्रबंध है। उच्च शिक्षा व विदेश शिक्षा हेतु भी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। मैडिकल, इंजीनियरिंग तथा अन्य औद्योगिक शिक्षण संस्थाओं में इनके प्रवेश हेतु विशेष व्यवस्था की गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा 2001 में सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत की गई । जिसमें 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य 85:15 की सहभागिता प्रबन्ध के आधार पर सहायता दी गई, 10वीं योजना के अन्तर्गत सहभागिता प्रबन्ध 75:25 है तथा इसके बाद यह 50:50 के आधार पर दी जायेगी। यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया जा रहा है तथा इसमें बालिकाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के छात्रों तथा दुष्कर परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत में दिसम्बर, 2006 तक लगभग, 1.81 लाख विद्यालय खोले जा चुके हैं। 1,49,683 नये विद्यालय भवन तथा 6,50,442 अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाये गये है। 31 मार्च 2007 तक इस अभियान के अन्तर्गत 8.14 लाख नये शिक्षक नियुक्त किये जा चुके है। संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय व अन्य केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए देश के विभिन्न भागों में 80 केन्द्र स्थापित किए गए है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें इनकी शिक्षा पर बहुत सी धनराशि खर्च कर रही है। इन प्रयासों के फलस्वरूप इन जातियों में शिक्षा का प्रसार हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सभी स्तर पर उन्हें नौकरियों व पदोन्नति में संरक्षण प्रदान किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के चयनित सूचनादाताओं के शैक्षणिक विकास में बाधक परिस्थितियों के अन्तर्गत तीन तथ्य प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम परिवार का आर्थिक ढाँचा द्वितीय पीढ़ी–दर–पीढ़ी चला आ रहा सामाजीकरण तथा तीसरा सीमित अन्तःक्रिया का होना।

परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला माना जाता है जहाँ वह अपने सामाजिक व्यवहारों को सीखता है और अपने आपको समाज की चुनौतियाँ का सामना करने के लिए तैयार करता है परन्तु जब पीढ़ी–दर–पीढ़ी होने वाला सामाजीकरण वंचनाओं पर आधारित होता है तब भावी पीढ़ी का आत्मविकास अवरूद्ध हो जाया करता है। परिवार का आर्थिक ढाँचा सुविधाओं से शून्य निर्धनता से युक्त हो, कर्ज के बोझ से जूझ रहा हो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का संकट उस पर भी दैनिक मजदूरी से प्राप्त होने वाली सीमित आय बच्चों के भरण–पोषण तक ही सीमित होती है, इसके साथ–साथ सामाजिक कुरीतियों की मार, धार्मिक कर्मकाण्ड एवं मुखिया का मादक पदार्थों के सेवन का आदि होना परिवार की आर्थिक स्थिति को इतना ज्यादा कमजोर बना देता है कि जिसके परिणामस्वरूप परिवार में स्थिरता नहीं रह पाती पति–पत्नी के मध्य आपसी झगड़े एवं कलह का कारण बन जाया करती है। परिवार सदैव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक संकटों का सामना करता रहता है।

ऐसे हालातों में परिवार के अन्य सदस्यों या नवीन पीढ़ी की शिक्षा सदैव उपेक्षित होती है माता–पिता द्वारा भी प्रतिवर्ष शिक्षा पर व्यय न के बराबर किया जाता है। परिवार में शिक्षा का वातावरण नहीं रह पाता और बच्चों का शैक्षणिक सामाजीकरण उचित प्रकार से नहीं होता, अतः शिक्षा के प्रति बच्चों में नीरसता दिखाई देने लाती है। निर्धनता के कारण बच्चों की प्रथम आवश्यकता शिक्षा न होकर पैसे कमाना हो जाया करती है यही कारण है कि अधिकांश बच्चे बचपन में ही पैसे हेतु काम करने पर विवश हो जाया करते है। यह व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी बने रनहे के कारण न तो माता–पिता शिक्षा ग्रहण कर पाते है और न ही उनक बच्चे। अनुच्छेद–46 में राज्य नीति के निदेशात्मक तत्व के अन्तर्गत प्रावधान है कि ''राज्य विशेष देखभाल द्वारा कमजोर वर्गों तथा विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा सामाजिक अन्याय तथा शोषण के सभी रूपों से रक्षा प्रदान करेगा।''

अनुच्छेद–366(24) अनुसूचित जातियों को परिभाषित करता है तथा अनुच्छेद 341 उस प्रक्रिया की पहचान करवाता है कि जिनके द्वारा इन वर्गों की पहचान होगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए भी क्रमशः अनुच्छेद 366(25) तथा अनुच्छेद 342 में प्रावधान बनाए गये है। संविधान की प्रस्तावना में स्थापित उद्देश्यों के लिए अनेक रक्षोपायों का संविधान में प्रावधान है संवैधानिक संरक्षोपायों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा रोजगार सम्मिलित है। सामाजिक रक्षोपाय संविधान के अनुच्छेद–17, 23, 24 एवं 25(2)(ब) में अन्तर्विष्ट है।

अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन हो चुका है तथा इसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध है। अस्पृश्यता से आविभूति किसी भी निर्योग्यता के प्रवर्तन को अपराध बना दिया गया है तथा यह कानून के अनुसार दण्डनीय है। इस अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गये है। नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1955 को इस उद्देश्य से पारित किया गया कि अस्पृश्यता प्रथा का प्रचार करने को जिससे कोई भी निर्योग्यता अथवा उससे संबंधित विषयों से आविर्भूत हो, दण्डनीय किया जा सके। अनुच्छेद 25(2)(ब) में प्रावधान है कि लोकार्पित हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के द्वारा हिन्दूओं के सभी वर्गों तथा सम्प्रदायों के लिए खुले रहेंगे।

अनुच्छेद 23 में किसी भी रूप में इंसानों के क्रय–विक्रय, बेगार तथा बलात् मजदूरी का निषेध है तथा इसके प्रावधानों का उल्लंघन कानून एक दण्डनीय अपराध है। इस अनुच्छेद के अनुवर्तन रूप में बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम 1976 पारित किया गया है। इसके प्रावधान को लागू करने के लिए बंधुआ मजदूरों की पहचान, आजादी तथा पुनर्वास सम्बंधी विशेष कार्यक्रम पहले से ही विद्यमान है। हालांकि, इस अधिनियम में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है, फिर भी वह उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश बधुआ मजदूरों का सम्बध अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से होते है।

अनुच्छेद–24 में प्रावधान है कि कोई भी बच्चा, जिसकी आयु 14 वर्ष से कम हो, किसी भी कारखाने या खदान या किसी भी संकटपरक नौकरी पर नहीं लगाया जाएगा। बाल मजदूर प्रथा को रोकने तथा बाल मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय कानून विद्यमान है। बाल मजदूर (निषेध तथा नियामक) अधिनियम, 1986 तक केन्द्रीय कानून है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों से संबंधित बाल मजदूर ही अधिकांशतः संकटपरक नौकरियों पर लगाए जाते है।

अतः इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के समक्ष रोजगार एक बहुत बड़े संकट के रूप में देखा जाता है इन्हें मजबूरी वश कम पैसों पर कृषि मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण बड़ी मुश्किल से किया जाता है वहीं रुढ़िवादी धार्मिक परम्पराओं शादी, विवाह, मौत, तीज–त्यौहार, व्रत आदि क्रियाओं को अनिवार्य रूप से धार्मिक एवं सामाजिक नियमों के अनुरूप करने में इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। निर्धनता की यही स्थिति इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यही कारण है कि अनुसूचित जातियों में शिक्षा पर व्यय लगभग न के बराबर होता है। निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता से झूझते परिवार में बच्चों की शिक्षा को उपेक्षित समझा जाता है और यही पीढ़ी–दर–पीढ़ी होता है शिक्षा के आभाव में अनुसूचित जाति परिवार जागरूकता से वंचित रह जाने हेतु विवश होता है।

सारणी क्र.1.0
ग्रामीण परिवेश में अनुसूचित जातियों के विकास के अवसर

क्र.	विकास के अवसर	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	69	23.00
2	नहीं	231	77.00
	योग	300	100.00

सारणी क्र.1.0 में ग्रामीण परिवेश में अनुसूचित जातियों के विकास के अवसर की स्थिति को दर्शाया गया है जिसमें यह पाया गया कि 23 प्रतिशत सूचनादाता ही मानते है कि गाँव में रहकर भी विकास किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है ऐसे हालात में गाँव के बाहर भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा जबकि 77 प्रतिशत सूचनादाताओं का मानना है कि गाँव में उनके विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते सर्वप्रथम यहां बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। कृषि से संबंधित मजदूरी पूरे वर्ष भर नहीं होती इससे प्राप्त होने वाली आय भी बहुत सीमित होती है जो केवल भरण–पोषण की आवश्यकताओं को बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं वहीं गांव में वैकल्पिक रोजगार भी नहीं होते तथा कुछ व्यवसाय ऐसे है जिसे अनुसूचित जाति का सदस्य कर ही नहीं सकता क्योंकि जातिगत मान्यताएं यहां अत्यंत ही कठोर होती है। यही वजह है कि अनुसूचित जाति के कुछ लोग गाँव से बाहर जाकर नजदीकी शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में चले जाते है और वहीं रहकर कुछ न कुछ कार्य किया करते है।

सारणी क्र.1.2
गाँव में रोजगार प्राप्त होने की स्थिति

क्र.	रोजगार प्राप्त	संख्या	प्रतिशत
1	रोजाना	83	27.67
2	कभी–कभी	143	47.66
3	नहीं	74	24.67
	योग	300	100.00

उपरोक्त सारणी क्र. 1.2 में सूचनादाताओं द्वारा गाँव में रोजगार प्राप्त होने की स्थिति के संदर्भ में सूचना दी गई है जिसमें ऐसे तथ्य सामने आये है जिनमें सर्वाधिक 47.66 प्रतिशत सूचनादाताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि गाँव में सदैव रोजगार उपलब्ध नहीं होता उन्हें कभी–कभी रोजगार प्राप्त होता है क्योंकि खेतों में वर्ष भर फसल नहीं ली जाती प्रायः बोनी, निदाई–गुडाई एवं कटाई के समय ही उन्हें खेतों में काम मिल पाता है। वहीं 27.67 प्रतिशत सूचनादाताओं का कहना है कि उन्हें रोजाना काम मिलता है। प्रायः इनका स्वयं का व्यवसाय एवं छोटे–छोटे काम होते है तथा 24. 67 प्रतिशत सूचनादाता ऐसे भी पाये गये जिनके अनुसार उन्हें गाँव में कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं होता वे दूसरे गाँवों या नजदीकी शहरों में जाकर काम करते है।

सारणी क्र.1.3
गाँव में रोजगार प्राप्त न होने पर आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति

क्र.	रोजगार प्राप्त न होने पर	संख्या	प्रतिशत
1	गाँव से बाहर मजदूरी करने जाते हैं	113	37.67
2	छोटी दुकानों पर काम करते हैं	55	18.33
3	छोटा व्यवसाय गाँव से बाहर करते हैं	79	26.33
4	गाँव–गाँव फेरी लगाते हैं	53	17.67
	योग	300	100.00

उपरोक्त सारणी क्र. 1.3 में सूचनादाताओं को गाँव में रोजगार प्राप्त न होने पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाने की स्थिति को दर्शाया गया है जिसमें सर्वाधिक 37.67 प्रतिशत सूचनादाताओं का मत है कि गाँव के बाहर मजदूरी करने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। वहीं 26.33 प्रतिशत सूचनादाता गाँव से बाहर अपना छोटा–छोटा व्यवसाय किया जाता है। 18.33

प्रतिशत सूचनादाताआ दूसरों की दुकानों में दैनिक वेतन भोगी एवं मासिक वेतन पर काम किया करते है इसी प्रकार 17.67 प्रतिशत सूचनादाता गाँव के बाहर घूम–घूम कर फेरी लगाते है यें नजदीकी गाँवों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार एवं मेलों में भी अपनी दुकानें लगाते हैं।

इस प्रकार अनुसूचित जाति का व्यक्ति गाँव में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर गाँव के बाहर जाकर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है एवं अपने परिवार का भरण–पोषण करता है।

सारणी क्र.1.4

कम मजदूरी पर काम किये जाने की स्थिति

क्र.	कम मजदूरी पर काम	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ कराया जाता है	98	32.66
2	नहीं कराया जाता है	202	67.34
	योग	300	100.00

उपरोक्त सारणी क्र. 1.4 में कम मजदूरी पर काम कराये जाने की स्थिति को दर्शाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि 32.66 प्रतिशत सूचनादाता यह मानते है कि वर्तमान समय में भी उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का पूरा भुगतान नहीं किया जाता। ऊँची जातियों द्वारा काम के बदले कम पैसा देकर उनका आर्थिक शोषण किया करते है और यदि उनके द्वारा विरोध किया जाता है तब उनके साथ गाली–गलौच एवं मारपीट भी की जाती है।

इसके विपरीत 67.34 प्रतिशत सूचनादाताओं को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा इस तरह की समस्याओं का सामना प्रायः मासिक मजदूरी एवं साप्ताहिक मजदूरी पर होता है। बिल्डिंग का काम एवं खेत मजदूरों को सदैव ही इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रायः ठेकेदारों द्वारा उन्हें न तो उचित पैसा दिया जाता है और न ही समय पर वे मजदूरों को बार–बार परेशान करने के बाद पैसे दिया करते है।

कभी–कभी तो वे उनसे कमीशन भी लिया जाता है। मजदूर इसके विरूद्ध कुछ भी नहीं करते क्योंकि उनके बातों को कोई नहीं सुनता इसलिए मजदूर जैसा होता आया है वैसे ही काम करता रहता है क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है एक के जाने के बाद दूसरा काम करने हेतु तैयार हो जाता है।

सारणी क्र.1.5

बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय

क्र.	वस्तुओं का क्रय	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	89	29.66
2	नहीं	211	70.34
	योग	300	100.00

सारणी क्र. 1.5 में अनुसूचित जाति द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के क्रय से संबंधित है, जिसमें पाया गया कि 29.66 प्रतिशत सूचनादाता व उनके संबंधियों को इस तरह की जातिगत आर्थिक अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा है जबकि 70.34 प्रतिशत को व उनके रिश्तेदारों को ऐसी समस्या से जूझना नहीं पड़ा जिसके पीछे यह तथ्य सामने आता है कि जिनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ वे विक्रय का काम न करके मजदूरी एवं दूसरों के यहां काम करते है। अनुसूचित जातियों के संदर्भ में यह बात पूर्णतः स्पष्ट रूप से सभी जानते है कि अनुसूचित जातियों की घृणित व्यवसाय करने वाली जातियों के द्वारा खाने पीने या इसके अलावा कोई भी वस्तु बेची जाती है तो उस गाँव के लोग उससे सामान नहीं खरीदते। यहां तक की स्वयं अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी नहीं खरीदते उनका यह मानना होता है कि यदि कोई ऊँची जाति वाला देख लेगा तो वह उससे भेदभाव जनित व्यवहार करेगा उससे उसकी प्रस्थिति घट जाएगी जातिगत आर्थिक बहिष्कार का यह रूप बड़ा ही विचित्र है और अनोखा भी जो प्रायः भारतीय ग्रामीण समाज में देखा जाता है। लोग अनुसूचित जातियों से केवल वो ही सामान खरीदना पसंद करते है जो उनका परम्परागत व्यवसाय रहा है। इसके अलावा वे दूसरी वस्तुओं का क्रय उनसे नहीं करते।

सारणी क्र.1.6

परम्परागत कार्यों को करने या न करने हेतु प्रताड़ना

क्र.	प्रताड़ना	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ, प्रताड़ना दी जाती है	57	19.00
2	प्रताड़ना नहीं दी जाती है	243	81.00
	योग	300	100.00

सारणी क्र. 1.6 में परम्परागत कार्यों को करने या न करने के कारण प्रताड़ित किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है जिसमें पाया गया कि 19 प्रतिशत सूचनादाताओं के परिवार एवं नातेदारों में से किसी न किसी को इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी है इनमें मुख्य रूप से चमार जाति के वे लोग है जो पूर्व में मरी हुई गायों को उठाने एवं उसके चमड़ा उतारने का काम किया करते है थे, परन्तु उनके मना किये जाने पर उनसे बलपूर्वक वह काम कराया गया, मना करने पर उन्हें प्रताड़ित भी किया गया था। इसी प्रकार वाल्मिकी जाति के लोग जो नाली एवं गंदगी साफ करने का काम किया करते है, उनके द्वारा यह काम किसी के घर या समारोह में न किये जाने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया गया, चूंकि गाँव में नगर निगम नहीं होती छोटे–छोटे गाँव में यह काम उस जाति से संबंधित लोगों द्वारा कराया जाता है जिनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा काम होता चला आया है। जबकि अधिकांश लोगों द्वारा अब इस तरह के काम नहीं किये जाते कुछ लोग चोरी छुपे, इस तरह का काम करते है जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता है जबकि अध्ययन क्षेत्र के 81 प्रतिशत सूचनादाताओं को इस तरह के कार्य करने या न करने के कारण ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि यह काम उनके द्वारा पीढ़ी–दर–पीढ़ी नहीं किया जाता था। प्रस्तुत अध्ययन अल्पअवधि में किए गए क्षेत्रकार्य का प्रारंभिक विश्लेषण है। इस दिशा में आकड़ों की पुष्टि और विस्तार से अध्ययन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु संविधान में अनेक व्यवस्था विविध कानूनों के माध्यम से की गई है वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्मित मानवाधिकार समस्त मनुष्यों को जीवन जीने का मानवीय अधिकार प्रदान करती है। ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली अनुसूचित जातियॉ ग्रामीण समाज की परिवेशगत परिस्थितियों एवं जातिप्रथा की प्रधानता होने के कारण अपना समूचित विकास कर पाने में अभी पिछड़ी हुई है। शिक्षा रोजगार एवं व्यवसाय से जुड़ी परिस्थितियॉ इन्हें सामाजिक.आर्थिक रुप से न तो उन्नत होने देता है और न ही समाज मे इन्हें अच्छी प्रस्थिति प्रदान करती है। सभी गावों में इनकी प्रस्थिति इनकी आज भी दयनीय बनी हुई है। इन गॉवों में मानवाधिकार एवं संवैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा निर्मित कानूनों की न तो अगड़ों को समझ है और न ही पिछड़ों को सभी परम्परागत रुढ़ीवादी ग्रामीण ढ़ाचों की परिस्थितियों के अनुरुप अपना जीवन यापन किया करती है। अतः ग्रामीण परिवेशगत परिस्थितियॉ एवं जातिगत चरित्र अनुसूचित जातियों की प्रस्थिति को सकारात्मक एवं नकारात्मक रुप से प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।

सुझाव

अनुसूचित जातियों को अपनी सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक दशा को सुधारने हेतु अपना समूचित शैक्षणिक विकास करना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें ग्रामीण परिवेश की रुढ़ीवादी मान्यताओं एवं प्रथाओं का त्याग कर वैज्ञानिक एवं लौकिक मूल्यों को अपनाना चाहिऍ ताकि वे अपने मानवीय अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरुक बनके अपने आपकों विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *साथी, छेदीलाल (2012), दलित व पिछड़ी जातियों की स्थिति, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली,*
2. *दोषी, एस.एल. एवं पी.सी. जैन (2002), भारतीय समाज : संरचना और परिर्वतन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली,*
3. *सारस्वत, रेशमा एवं रामगोपाल कुशवाह (2015), शिक्षा के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, राखी प्रकाशन प्रा.लि., आगरा,*
4. *मदन, जी.आर. (2009), विकास का समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली,*
5. *चौधरी, जे.के. (2018), 'पारिवारिक कलह अनुसूचित जाति के बच्चों के शैक्षणिक विकास में बाधक : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन', पॉटलीपुत्र जर्नल ऑफ इण्डोलॉजी, इंटरनेशनल रेफर्ड जर्नल, वाल्यूम–III, इश्यू–3, अक्टूबर 2018, ISSN:2320-351X*
6. *झारिया, धर्मेन्द्र (2017), 'अनुसूचित जाति की शैक्षणिक समस्याएँ : एक अध्ययन', ऐकेडमिक सोशल रिसर्च एन इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल, वाल्यूम–3, इश्यू–4, सितम्बर 2017, ISSN:2456-2645*
7. *सूत्रकार, राजकुमार (2014),'दलित महिलाओं में गतिशीलता' (जबलपुर जिले के ग्रामीण एवं नगरीय महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन), अप्रकाशित पी–एच.डी. शोध प्रबंध, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)*
8. *जैन, प्राप्ति (2013), 'अनुसूचित जाति महिलाएं एवं शिक्षा' (जबलपुर नगरीय क्षेत्र की गंदी बस्ती के संदर्भ में), अप्रकाशित पी–एच.डी. शोध प्रबंध, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)*
9. *सिंह, रामगोपाल (2011), 'भारतीय दलित समस्याएं एवं समाधान', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल (म.प्र.)*
10. *सुखदेव, थोरात (2011), 'भारत में दलित : सामान्य लक्ष्य की खोज', रावत पब्लिकेशन, जयपुर*
11. *पूरणमल (2002), दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, अविष्कार पलिब्शर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, राजस्थान*